अ0शा0परिपत्र सं0 42/2022

🌂 **देवेन्द्र सिंह चौहान,** आई०पी०एस०



पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

पुलिस भवन, सिग्नेचर विल्डिंग, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।

दिनांकः-लखनऊः दिसम्बर 29,2022

विषयः

भूमि तथा राजस्व संबंधित विवादों में जिलाधिकारी के साथ समन्वय करके जनपदों में पुलिस व राजस्व से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु एक तंत्र विकसित कर त्वरित निस्तारण किये जाने के संबंध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

में आपका ध्यान आम जनता की शिकायतों एवं उनके निस्तारण हेतु प्रचलित व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु उ०प्र० शासन एवं इस मुख्यालय से समय-समय पर पार्श्वाकिंत कॉलम में अंकित शासनादेश व परिपत्र निर्गत किये गये हैं, जिनके द्वारा दिये गये निर्देशों एवं सुझावों के दृष्टिगत जनता की समस्याओं का थाना, सिर्कल व जनपद स्तर पर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण अपेक्षित है। स्थानीय स्तर पर उचित समाधान न होने की स्थिति में जनसामान्य को अपनी शिकायतों को लेकर उ०प्र० शासन एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० में अधिकारियों के समक्ष बार-बार आना पड़ता है, जिससे जनसामान्य में शासन/ विभाग के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न होने के साथ ही साथ पुलिस

डीजी परिपत्र संख्या 11/22 दि 4.5.22 शा.सं0-वीआईपी-01/एक-4-2022-11बी/12 दिनांक 29.4.22 डीजी परिपत्र सं0 47/2020 दि0 29.12.20 डीजी परिपत्र सं0 43/2019 दि0 26.9.19 डीजी परिपत्र सं 25/2017 दि0 12.8.17 डीजी परिपत्र सं. 51/2016 दि0 20.8.16 डीजी परिपत्र सं. 45/2016 दि0 21.7.16 डीजी परिपत्र सं0 19/2022 दि0 27.6.22 विभाग की छिव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
पुलिस व्यवस्था के विभिन्न स्तरों जैसे जनपदीय पुलिस,
किमश्नरेट, पिरक्षेत्र, जोन, पुलिस मुख्यालय, शासन,
मा० मुख्यमंत्री कार्यालय पर प्राप्त होने वाली शिकायतो
में अपराध संबंधी शिकायतों के साथ-साथ भूमि एवं
सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद के ज्यादातर प्रार्थना पत्र
आवेदकों द्वारा दिये जाते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित
दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

जनपदीय पुलिस, पुलिस कमिश्नरेट, परिक्षेत्र, जोन, पुलिस मुख्यालय,

शासन, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों में अधिकतर प्रार्थना पत्रों में भूमि पर जबरन अवैध कब्जा कर लेने, किसी वैध कब्जेदार को दबंगई के बल पर बेदखल कर देने तथा एक पक्ष

purement ---2

की रिजस्ट्री होते हुए दूसरे पक्ष द्वारा पुनः रिजस्ट्री कराकर भूमि पर कब्जा करने आदि की होती है। इन प्रकरणों में अपराधिक तत्वों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जानें की आवश्यकता होती है। जनपदों में राजस्व/सम्पत्ति सम्बन्धी प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज किये जाने की सुगम व्यवस्था का अभाव होना पाया गया है। कई बार इन प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज होने में विलम्ब होता है। यही स्थिति कमिश्नरेट में भी सामान रूप से पायी जाती है। इस ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

अतः पुलिस व राजस्व से सम्बन्धित प्रकरणों की जन सुनवाई हेतु एक तंत्र विकसित कर कमिश्नरेट व जनपदों में त्वरित निस्तारण की व्यवस्था बनाये जाने हेतु सभी कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त स्तर तथा जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये। नोडल अधिकारी ऐसे प्रकरणों की समीक्षा करेंगे तथा समीक्षोपरांत प्रकरण में राजस्व संबंधित विवाद पाये जाने पर जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम का गठन करायेंगे, जो कि संयुक्त जांच पड़ताल कर आवश्यकतानुसार/नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायेंगे, जिससे पीड़ित व्यक्ति को न्याय हेतु विलम्ब का सामना न करना पड़े।

- प्रत्येक किमश्नरेट एवं जनपदों में भूमि संबंधित विवाद में प्रतिदिन यह नोट किया जाये कि किस थाना क्षेत्र की समस्या से संबंधित कितने आवेदक आये। इस सूचना से जनपद के सर्वाधिक समस्या ग्रस्त थानों का चयन हो जायेगा । अधिक समस्या प्रधान थानों में नामित नोडल अधिकारी तथा आवश्यकता पड़नें पर पुलिस आयुक्त तथा वरिष्ट पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा भ्रमण व सत्त पर्यवेक्षण कर शिकायतों के संबंध में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम के साथ योजना बनाकर निस्तारण कराया जाये जिससे गुणवत्ता तथा समयबद्धता दोनो सुनिश्चित हो सके।
- यह सूचना भी एकत्रित की जाये कि पुलिस आयुक्त कार्यालय तथा जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अतिरिक्त थाना/ सर्किल/सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय, अपर पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय आदि में कुल कितने आवेदक शिकायतों के साथ पहुंचे, क्या इन कार्यालयों में पर्याप्त जनसुनवाई हो रही है। आवेदक की समस्या का जनपदीय/कमिश्नरेट/ परिक्षेत्रीय/जोनल एवं मण्डल स्तर पर निराकरण न होने के कारण वह कार्यालय/शासन/पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पर अपनी समस्या लेकर आते हैं, जो चिन्ताजनक है।
- उ०प्र० शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० मुख्यालय में प्रत्येक जनपदों से आने वाले भूमि/राजस्व संबंधित आवेदको की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे विदित होता है कि जनपद स्तर पर इनकी समस्याओं का समुचित निस्तारण नहीं हो पा रहा है । अतः सर्किल/तहसील स्तर पर क्षेत्राधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सर्किल/तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को नामित करायें, जो भूमि सम्बन्धित विवादों का पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम के साथ निराकरण सुनिश्चित करायेंगे। swenerst

4- किया निर्तारण के निर्तारण के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया जाये तथा अभिलेखीकरण हेतु एक रिजस्टर तैयार करायें, जिस पर प्रत्येक माह के अंत में संक्षिप्त सारांश बनाकर नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। जनपद के पुलिस आयुक्त/विरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह यह सूचना जिलाधिकारी अथवा उनके प्रितिनिधि से भी साझा कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

अतः भविष्य में आप सभी के द्वारा उपरोक्त निर्देशो पर व्यक्तिगत ध्यान देकर कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये ।

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0। समस्त पुलिस आयुक्त उ0प्र0। समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0। समस्त वरिष्ट पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी के अनुरोध पर राजस्व टीम का गठन प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें, ताकि भूमि संबंधित विवादों का नियमानुसार त्वरित निस्तारण कराया जा सके ।